Filing No–3602/2025
UPJB010038712025

# न्यायालय सत्र न्यायाधीश, अमरोहा।

**पीठासीन अधिकारी– विवेक (उच्चतर न्यायिक सेवा)**
**{JOCODE–UP2012}**

फौजदारी अपील सं०–87/2025
राजेन्द्र कुमार वरूण..... बनाम .....उत्तर प्रदेश राज्य व एक अन्य

**12.06.2026:–**

पत्रावली आज आदेश हेतु पेश हुई।

अपीलार्थी राजेन्द्र कुमार वरूण के विद्वान अधिवक्ता चौधरी योगेन्द्र सिंह तथा प्रत्यर्थी सं0–2 हरिदास के विद्वान अधिवक्ता श्री पंकज कुमार उपस्थित आये।

उभय पक्ष की ओर से दिनांक 03.06.2026 को **समझौतानामा 29ए**, वर्तमान फौजदारी अपील को समझौते के आधार पर निस्तारित किये जाने हेतु इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया कि दौरान विचारण अपील बिरादरी व सम्भ्रान्त व्यक्तियों द्वारा उनका आपसी फैसला करा दिया था तथा उनके मध्य अब कोई विवाद शेष नहीं रह गया था। इस समझौते में शर्त यह रखी गयी कि अपीलार्थी, विपक्षी संख्या–2 को समझौते के अंतर्गत 6,50,000/–रुपये नकद अदा करेगा तथा अपीलार्थी द्वारा विचारण न्यायालय में जमा की गयी दस प्रतिशत धनराशि 1,35,000/–रुपये को भी विपक्षी संख्या–2 हरिदास प्राप्त करने का अधिकारी होगा। उपरोक्त के आधार पर उभय पक्षों की संतुष्टि अपील को निस्तारित किये जाने की याचना की गयी है।

उपरोक्त समझौतानामा 29ए को पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया, जिनकी शिनाख्त उनके विद्वान अधिवक्तागण द्वारा की गयी।

मामले में अपीलार्थी राजेन्द्र कुमार वरूण का साक्ष्य पी.डब्ल्यू.1 के रूप में न्यायालय में अंकित किया गया, जिसमें उन्होंने कथन किया कि समाज के लोगों ने उन्हें बैठाकर उनका आपस में समझौता करा दिया है। चैकों की धनराशि अंकन 7,85,000/–रुपये में से 6,50,000/–रुपये आज नकद तथा 1,35,000/–रुपये, जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जमा हुये थे, वह धनराशि हरिदास को प्राप्त होगी, जिस पर उसे कोई आपत्ति नहीं है। समझौते के आधार पर मुकदमा निर्णय कर दिया जाये।

प्रत्यर्थी संख्या–2 हरिदास ने अपीलार्थी राजेन्द्र कुमार वरूण द्वारा किये गये कथनों के समान कथन करते हुये यह कथन किया है कि दौरान सुनवाई मुकदमा समाज के लोगों ने बैठकर उनका फैसला करा दिया है। दोनों चैकों की धनराशि में से अंकन 6,50,000/–रुपये आज उसे नकद मिल गये हैं तथा न्यायालय में जमा अंकन 1,35,000/–रुपये को वह प्राप्त करेगा, जिसमें राजेन्द्र को कोई आपत्ति नहीं है। समझौते के आधार पर उसे मुकदमा निर्णीत करने में कोई आपत्ति नहीं है।

उभय पक्षों के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वर्तमान मामला चैक अनादरण से सम्बन्धित है, जिसमें न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, अमरोहा द्वारा परिवाद संख्या–2250/2023 हरिदास बनाम राजेन्द्र कुमार वरूण अंतर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, थाना अमरोहा नगर, जिला अमरोहा में पारित आक्षेपित निर्णय व दण्डादेश दिनांकित 11.06.2025 के द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त राजेन्द्र कुमार वरूण को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत छः माह के साधारण कारावास एवं अंकन

Digitally signed by VIVEK AGGARWAL
Date: 2026.06.12 14:59:03 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

13,50,000/–रुपये अर्थदण्ड व अर्थदण्ड अदा न करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया है, जिससे क्षुब्ध होकर वर्तमान फौजदारी अपील योजित की गयी है।

उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत समझौतानामा 29ए, पी.डब्ल्यू.1 राजेन्द्र कुमार वरूण व सी.डब्ल्यू.1 हरिदास के साक्ष्य के अनुसार वतर्मान अपील में अपीलार्थी राजेन्द्र कुमार वरूण द्वारा आज न्यायालय में अंकन 6,50,000/–रुपये नकद प्राप्त कर दिये गये हैं तथा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश के अनुपालन में न्यायालय में जमा अंकन 1,35,000/–रुपये विपक्षी संख्या–2 हरिदास को प्राप्त कराये जाने पर कोई आपत्ति नहीं की गयी है। उक्त समझौतानामा 29ए दिनांक 03.06.2026 को दोनों पक्षों को पढ़कर सुनाया गया, जिसकी स्वीकृति उनके द्वारा स्वेच्छा से की गयी है। पक्षकारों की पूर्ण संतुष्टि के आधार पर उक्त समझौतानामा तस्दीक किया गया। समझौतानामा में यह स्पष्ट कथन किया है कि उनके मध्य अब कोई विवाद शेष नहीं है। वर्तमान अपील को फैसलानामा के आधार पर निस्तारित किये जाने पर सहमति दी गयी है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि पक्षकारों के मध्य समझौता हो गया है। दोनों पक्ष वर्तमानअपील को समझौतानामा 29ए के आधार पर निर्णीत कराना चाहते हैं। धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम का अपराध शमनीय (componndable) है, इसलिए वर्तमान फौजदारी अपील को समझौतानामा 29ए के आधार पर निस्तारित किये जाने में कोई विधिक बाधा नहीं है। अतः वर्तमान फौजदारी अपील समझौतानामा 29ए के आधार पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

## आदेश

उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत **समझौतानामा कागज संख्या–29ए** के आधार पर फौजदारी अपील संख्या–87/2025 राजेन्द्र कुमार वरूण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व एक अन्य स्वीकार की जाती है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त राजेन्द्र कुमार वरूण के सम्बन्ध में पारित निर्णय एवं दण्डादेश दिनांकित 11.06.2025 अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी/ अभियुक्त राजेन्द्र कुमार वरूण को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अपीलार्थी के व्यक्तिगत बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं। प्रतिभूगण को उनके जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

सम्बन्धित विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी राजेन्द्र कुमार वरूण द्वारा वर्तमान मामले में विचारण न्यायालय में जमा धनराशि अंकन 1,35,000/–रुपये नियमानुसार विपक्षी संख्या–2 हरिदास के पक्ष में निर्मुक्त किया जाये।

समझौतानामा 29ए आदेश का अंश रहेगा।

इस आदेश की एक प्रति सम्बन्धित विचारण न्यायालय को अनुपालन हेतु अविलम्ब प्रेषित की जाये। पत्रावली अभिलेखागार संचित की जाये।

दिनांक 12.06.2026

**( विवेक )**
सत्र न्यायाधीश
अमरोहा।

टाईपकर्ताः आनन्द प्रकाश, आशुलिपिक